

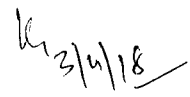
आदेश संख्या/जीएसटी -2017-18/ 20

/वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(जीएसटी अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक: 03 ^{अप्रैल} मार्च, 2018

—:आदेश:—

विषय: उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 117(4)(b)(iii) के अन्तर्गत प्रारूप जीएसटी टीआरएन-2 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का विस्तार ।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 117(4)(b)(iii) सपठित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 168 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 117(4)(b)(iii) के अधीन प्रारूप जीएसटी टीआरएन-2 में विवरण प्रस्तुत करने की अवधि को दिनांक 30-06-2018 तक बढ़ाती हूँ।


(कामिनी चौहान रतन)

आयुक्त राज्य कर/ वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

